



2026:AHC:128843

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन सं० - 18616/2026

नवीन उपाध्याय उर्फ प्रिंस उपाध्याय

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : रंजन ध्वज तिवारी

विपक्षी की ओर से अधिवक्तागण : देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं० - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजन ध्वज तिवारी, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।
- वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मु.अ.सं० 79/2026, अन्तर्गत धारा 137(2), 87, 64(1) बी.एन.एस. एवं धारा 3/4 पॉक्सो अधिनियम, थाना- ज्ञानपुर, जिला- भदोही में जमानत पर मुक्त करने हेतु दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है। कथित घटना दि० 25.03.2026 को घटित हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन पश्चात दि० 27.03.2026 को दर्ज कराई गई। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। सूचनाकर्ता का कथन है कि घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष 6 माह थी। पीड़िता सहमति देने वाली पक्षकार थी तथा उसने बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अन्तर्गत अभिलिखित अपने कथन में बताया कि वह आवेदक के सम्पर्क में छः-सात माह पूर्व आई थी। अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



तत्पश्चात वे प्रेम में पड़ गये तथा कुछ समय पश्चात उसके परिवारजनों को उनके संबंध की जानकारी हुई। दि० 26.03.2026 को पीड़िता रात्रि में घर से निकलकर ज्ञानपुर रेलवे स्टेशन पर आवेदक से मिली। तत्पश्चात वे रेल द्वारा कुशीनगर गये तथा हाटा में किराये के आवास में रहे। आवेदक तथा पीड़िता का विवाह दि० 28.03.2026 को एक मन्दिर में सम्पन्न हुआ तथा वे 12 दिनों तक पति-पत्नी के रूप में साथ रहे। उनके मध्य शारीरिक संबंध पीड़िता की सहमति से स्थापित हुआ। पीड़िता ने यह भी कथन किया कि उसे आवेदक द्वारा फुसलाया नहीं गया तथा उसने आवेदक के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पीड़िता सहमति देने वाली पक्षकार थी तथा आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक कृत्य नहीं बनता। वस्तुतः पीड़िता वयस्क थी तथा उसकी वास्तविक आयु छिपाने हेतु उसका अस्थि परीक्षण नहीं कराया गया। आवेदक के विरुद्ध लगाये गये आरोप की पुष्टि हेतु कोई चोट रिपोर्ट नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक सत्तर प्रतिशत दिव्यांग है, जिसका दिव्यांगता प्रमाण-पत्र आवेदन के पृष्ठ सं० 23 पर संलग्न है। आवेदक बिना किसी बालिका की सहमति के शारीरिक संबंध स्थापित नहीं कर सकता, अतः आवेदक के विरुद्ध बलात्संग का आरोप विश्वसनीय नहीं है। आवेदक की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक दि० 08.04.2026 से कारागार में है तथा जमानत पर मुक्त होने पर वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि आवेदक की अपराध में संलिप्तता संबंधी पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, अतः वह जमानत पर मुक्त किये जाने का अधिकारी नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण के प्रतिस्पर्धी निवेदनों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाये गये साक्ष्य, आवेदक द्वारा भुगती गई निरुद्धि की अवधि तथा किसी आपराधिक इतिहास के अभाव पर विचार करते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक जमानत हेतु मामला बनाता है।

7. तदनुसार जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. अभियुक्त-आवेदक **नवीन उपाध्याय उर्फ प्रिंस उपाध्याय**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में सम्मिलित है, को संबंधित न्यायालय की सन्तुष्टि पर व्यक्तिगत बंध-पत्र एवं समतुल्य धनराशि के दो विश्वसनीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर मुक्त किया जाये। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाये:-

(i) आवेदक इस आशय का वचन-पत्र दाखिल करेगा कि साक्ष्य हेतु नियत तिथि, जिस पर साक्षीगण उपस्थित हों, पर वह स्थगन नहीं मांगेगा। व्यतिक्रम की दशा में विचारण न्यायालय इसे जमानत का दुरुपयोग मानते हुए विधि-सम्मत कार्यवाही कर सकेगा।

(ii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय में उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय धारा 229-ए आई.पी.सी./269 बी.एन.एस. के अन्तर्गत कार्यवाही कर सकेगा।

(iii) जमानत के दुरुपयोग की दशा में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु धारा 82 सी.आर.पी.सी./84 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकेगी तथा उसमें नियत तिथि पर उपस्थित न होने पर विचारण न्यायालय धारा 174-ए आई.पी.सी./209 बी.एन.एस. के अन्तर्गत कार्यवाही करेगा।

(iv) आवेदक (1) सुनवाई शुरू होने, (2) आरोप तय किये जाने, तथा (3) धारा 313 सी.आर.पी.सी./351 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत कथन अभिलिखित किये जाने की तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। जानबूझकर अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय इसे जमानत का दुरुपयोग मानते हुए कार्यवाही कर सकेगा।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की दशा में यह जमानत निरस्त किये जाने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने में विचारण न्यायाधीश को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं करेंगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

23 जून, 2026

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।